न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– अंजली राजोरिया आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 41 / 2017

उनवान

मेघराज खत्री पुत्र श्री चंचल दास खत्री निवासी जे के विहार मकान नम्बर 507 / 34 श्रीनगर रोड अजमेर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 28.05.2018

प्रार्थी श्री मेघराज खत्री पुत्र श्री चंचल दास खत्री निवासी जे के विहार मकान नम्बर 507 / 34 श्रीनगर रोड अजमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम माकडवाली पटवार क्षैत्र माकडवाली तहसील व जिला अजमेर स्थित साबिक खसरा नंबर 1774 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी 2, व खसरा नम्बर 1775 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी 2 आम्बा, रूग्नाथ, गोविन्दराम, उगमा, मनरूप व जगमाल के नाम रिकार्ड में अंकित था। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबर में से 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कय किया था और नामान्तकरण संख्या 260 दिनांक 26.03.1999 को प्रार्थी के नाम तस्दीक किया गया। साबिक खसरा नम्बर 1574 व 1575 के नये नम्बर अनुसार 1774 के नये नंबर 1343, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 बने है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1775 के नये नंबर 1354 / 4409 व 1353 / 4410 बने है। दौराने भूप्रबन्ध हाल खसरा नंबरान जो पूर्व में किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी को बगेर किसी सक्षम न्यायलय के आदेश के उक्त भूमि का वर्गीकरण किस्म बारानी 2 को हटा कर गैर मुमकिन रास्ता, तालाब पेटा व गैर मुमकिन पाल दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी दिनांक 16.2.2017 को तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तरमीम उक्त खसरा नम्बरान की प्रार्थी की खरीदशुद्घा भूमि तक करवाई जा कर किस्म परिवर्तन कर पुनः जमाबंदी में इन्द्राज संशोधन करते हुये बारानी 2 अंकित किया जावे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक खसरा नंबर 1774 व 1775 में अंकित किस्म बारानी 2 पुनः हाल खसरा नम्बर आधार जमाबंदी के नये नंबर बने है में पुनः किस्म बारानी 2 अंकित करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । नायब तहसीलदार लिंक रिर्जव अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले राजस्व मानचित्र एवं भूमि की किस्म मौके की भौतिक स्थिति के अनुरूप किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

मैने उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2069–2072 के खेवट खतौनी नया 1 पुराना 2 में खसरा नम्बर 1343 किस्म बारानी 2 खसरा नम्बर 1350 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1351 बारानी 2खसरा नम्बर 1352

टा ता. 2 खसरा नम्बर 1353 किस्म पेटा ता. 2 व खसरा नम्बर 1354 किस्म गे.मु. पाल
ै, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि
है। एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार
ल रहमान बनाम सरकार के अनुसार नदी, नाला, तालाब पेटा में एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि
किसी प्रकार के हक अधिकार व खातेदारी उत्पन्न नहीं होती है ना ही विधिक अधिकारी उत्पन्न
ते है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
ार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतित नहीं होने से
अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंजली राजोरिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर